mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in   ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/248/पार्ट-4/ 1248   भोपाल, दिनांक 27/03/2025

प्रति,

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ____________ (समस्त)

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
____________ जिला ____________ (समस्त)

विषय - **रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर उर्पाजन के अंतर्गत कृषि उपज मंडियों में क्रय-विक्रय व्यवस्था हेतु दिशा-निर्देश।**

विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में रबी विपणन वर्ष 2025-26 का सीजन प्रारंभ हो चुका है तथा केंद्र शासन/ राज्य शासन की एजेंसीज के द्वारा गेंहू उपार्जन एवं PSS योजना अंतर्गत चना, मसूर, एवं सरसों का उपार्जन किया जा रहा है / किया जाना है। उक्त संबंध में प्रदेश की मंडी समितियों में विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु पूर्व से जारी निर्देशों के क्रम में ही निम्नानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए :-

01. मंडी समितियों में एफ.ए.क्यू. (मानक स्तर) की कृषि उपज का समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय न हो तथा मंडी समितियों में एफ.ए.क्यू. (मानक स्तर) की कृषि उपज का समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय होने वाली कृषि उपज के संबंध में पूर्व से जारी निर्देश अनुसार, कृषकों के नाम सहित सैंपल सुरक्षित रखे जाए।

02. मंडी समितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से प्रत्येक दिवस निरंतर घोषणा कराई जाए कि कृषक अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु लाने से पहले अच्छे से धूप दिखाएं जिससे मंडियों में विक्रय के समय कृषक भाईयों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। मंडी समितियों में नियुक्त की गई उपार्जन संस्थाओं, उपार्जन केंद्रों से सतत संपर्क में रहे।

03. मंडियों में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए एवं शिकायत पंजी संधारित की जाए। कृषि उपज की खरीदी के संबंध में प्राप्त शिकायतों का तुरंत निराकरण किया जाए। समर्थन मूल्य उपार्जन संबंधी शिकायतों से तत्काल जिला प्रशासन को भी अवगत कराया जाए।

04. मंडी क्षेत्र तथा मंडी प्रांगण में खुली नीलामी पद्धति से होने वाले क्रय-विक्रय तथा मंडी क्षेत्र में एम.पी. फार्म गेट एप (सौदा पत्रक) के माध्यम से होने वाले क्रय-विक्रय की प्रतिदिन समीक्षा की जाए, मंडियों में प्रचलित भावों की अनियमित कमी पर विशेष निगरानी रखी जाए।

05. कृषि उपज मंडी प्रांगणों में खुले घोष विकय में मॉडल भाव से अनियमित कम दर पर बोली प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार नीलामी को कुछ समय के लिए स्थगित कर पुनः आरंभ किया जाए। साथ ही कृषकों को दूसरे चरण की नीलामी में पुनः भाग लेने हेतु समझाईश दी जाए। कृषि उपज मंडी समिति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सदैव प्रयासरत रहकर यह सुनिश्चित करना होगा कि मानक स्तर की कृषि उपज का विक्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर न होने दिया जाए।

06. मंडी प्रांगण में माईश्चर मीटर, भोजन व्यवस्था (कैंटीन), बिजली, जनरेटर, तौल कांटो का सत्यापन, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, साफ-सफाई की व्यवस्था आदि से संबंधित समस्त कार्यवाही मंडी सचिव तत्काल सुनिश्चित कर ली जाए।

07. मंडी सचिव यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मंडियों में स्थापित तौलकांटें सुचारू रूप से संचालित है एवं इनका नियतकालिक सत्यापन नाप तौल विभाग से कराया गया है।

08. नीलामी शेड/ चबूतरे रिक्त हो, उन पर किसी भी व्यापारी के अनाज बोरे न रखे हो अर्थात् प्रतिदिन शेड खाली कराए जाए।

09. मंडी समितियों में पदस्थ समस्त कर्मचारीगण ड्यूटी के समय निर्धारित गणवेश में उपस्थित रहेंगे। मंडी सचिव एवं अधीनस्थ कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे एवं बगैर सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

10. कृषि उपज मंडी समिति में निर्बाध रूप से क्रय-विक्रय को ध्यान में रखते हुए यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश रखना आवश्यक हो तो भारसाधक अधिकारी द्वारा कृषक प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श एवं सहमति उपरांत ही निर्णय लिया जाए और ऐसे अवकाश के संबंध में पर्याप्त समय पूर्व, सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए मंडी प्रांगण में उद्घोषणा और अन्य साधन से प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि किसानों को असुविधा ना हो।

11. प्रायः यह सूचना भी प्राप्त होगी कि कई मण्डियों में विपणन व्यवस्था की क्षमता से अधिक आवक हो रही है अतः मंडी सचिव मंडी प्रांगण की क्षमता से अधिक आवक होने पर अतिरिक्त आवक को सुचारू रूप से नियंत्रित करने की कार्यवाही अपने भारसाधक अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से करेंगे। साथ ही संभागीय संयुक्त संचालक अधीनस्थ मंडियों की सतत समीक्षा करेंगे एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अमले को भी संबद्ध कर सकेंगे।

12. मंडी प्रांगण में शासकीय उपार्जन केंद्र स्थापित होने की स्थिति में उपार्जन एजेंसी से समन्वय करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

13. मंडी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण में स्थापित उपार्जन केंद्रों की संभागवार/ मंडीवार जानकारी एक सप्ताह में इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

उक्त निर्देशों का शब्दशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

(कुमार पुरुषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/248/पार्ट-4/1249 **भोपाल, दिनांक** 27/03/2025

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म. प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
2. सचिव, म. प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
3. कलेक्टर, जिला......... (समस्त)।
4. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक (समस्त), म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. चीफ प्रोग्रामर, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल